तारीख हुक्म	आम जनता डिडवाना जरिये रामफूल आदि बनाम कन्हैयालाल आदि किस्म मुकदमा – निगरानी ग्राम पंचायत प्रकरण सं. – 23/2017	हुकम कीतामील में जारी हुए
24.07.2018	अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। दिनांक 17.07.2018 को प्रार्थना पत्र आपत्ति पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसके अनुसार अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं. 01 (आपत्तिकर्ता) द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि पट्टा सं. 41 दिनांक 09.10.2009 ग्राम पंचायत डिडवाना के विरूद्ध आम जनता की ओर से निगरानी पेश की गई हैं किन्तु आम जनता की ओर से की गई कार्यवाही हेतु पांच या इससे अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है तथा आदेश 01 नियम 08 सी. पी.सी की पालना आवश्यक है। अखबार में सूचना साया कराया जाना आवश्यक होता है। आदेश 01 नियम 08 की पालना किये बिना पत्रावली में कोई कार्यवाही नही कि जा सकती है। प्रश्नगत पट्टा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2009 को पंजीबद्ध हो गया है। अतः रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। निगरानी में केवल एक इस आधार पर पेश की गई है कि उक्त पट्टा भूमि रास्ते की भूमि है। जबकि कोई साक्षय पेश नही किया गया है। सुखाचार के अधिकार बाबत भी निगरानीकार को सिविल न्यायालय में जाना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी खारिज की जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रार्थी (निगरानीकार) द्वारा निवेदन किया गया की निगरानीकारान के व्यक्तिगत हितो पर विपरीत प्रभाव पडने के कारण निगरानी पेश करने का अधिकार है। प्रस्तुत निगरानी मे कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। माननीय न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को खारिज करने का पूर्ण अधिकार है। निगरानीकारान ने ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा जारी विधि विरूद्ध पट्टे के खिलाफ विधि के प्रश्न पर निगरानी याचिका पेश की गई है। पट्टे के विरूद्ध निगरानी पेश की गई हैं न कि दावा, दावे में आदेश 01 नियम 08 की पालना आवश्यक है। सी.पी.सी नियम 115 में स्पष्ट निहित है कि यदि किसी कार्यवाही में कोई विधिक त्रृटि रह जाती है तो उसकी रिविजन की जा सकती है। जो कि संधारण किये जाने योग्य है। पट्टा जारी किये जाने का आधार यदि विधि विरूद्ध हो तो उसको चुनौती दी जा सकती है। यहां पट्टा ही गलत जारी किया गया है। इसलिए इस पर पश्चातवर्ती क्रियाऐं अमान्य होगी। निगरानीकारान का प्रश्नगत भूमि पर वर्षो से रास्ता है तथा उस पर गलत रूप से जारी पट्टे को निरस्त करवाना चाहते है। अन्य पट्टा सं. 35 में पट्टाधारी लल्लूराम महावर ने पट्टा स्वयं समर्पित किया है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत रूलिंग यहां चस्पा नही होती है। मौके पर निगरानीकार का रास्ता चालू हैं व कोई निर्माण नही है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं. 01 (आपत्तिकर्ता) द्वारा पुनः जवाब में निवेदन किया गया की प्रश्नगत पट्टा आवासीय प्रयोजनार्थ जारी किया गया है एवं तत्पश्चात इसका पंजीयन किया गया है। ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा पट्टे को निरस्त नही कर सकती है। अधिवक्ता गैरनिगरीकार सं. 01 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी 2004(2) पेज 970 पेश किया गया। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत पट्टा सं. 41 दिनांक 09.10.2009 ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा विधिवत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 के हक में विक्रय पत्र का पंजीयन भी कराया जा चुका हैं। रजिस्टर्ड पट्टे को इस न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आपत्ति में अंकित बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुऐ प्रार्थना पत्र आपत्ति को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर निगरानीकारान द्वारा पट्टा सं. 41 दिनांक 09.10.2009 ग्राम पंचायत डिडवाना के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैशल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official